न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 196/2021
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति ब्राहमण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी
–तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 10/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 13/12 के ख0न0 137 की 15.5280 हैक्ट भूमि में से 281/7764 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द दर्ज है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द दर्ज है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल के स्थान पर धर्मपाल दर्ज किया जावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 13/12 के ख0न0 137 की 15.5280 है0 में से 281/7764 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द अंकित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:46:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पालाराम उर्फ धर्मपाल कैसे दर्ज हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:46:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 196/2021

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति ब्राहमण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 196 सन 2021 निर्णय दिनांक 10/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:46:17 IST
Reason: SelfAttested